उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 243वीं बैठक
दिनांक 08 सितम्बर, 2017 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 243वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री मुकुल सिंहल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री मुकुल सिंहल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री धीरज साहू	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री महेन्द्र कुमार	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आ0वि0प0	सचिव
4–	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्रीमती वंदना टिक्कू	नगर नियोजक, प्रतिनिधि सी0टी0सी0पी0, उ0प्र0	सदस्य
6–	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
7–	श्री विनीत प्रकाश	उपसचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, नगरविकास	सदस्य
8–	श्री संजय कुमार मिश्र	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
243/1	परिषद की 242वीं बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 242वीं बैठक दि0 06.07.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
243/2	परिषद की 242वीं बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2017 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 242वीं बैठक के मद सं0–09, 10, 11, तथा 14 का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर मा. अध्यक्ष द्वारा आगामी बोर्ड बैठक से पूर्व अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अभियन्त्रण अनुभाग

243/3	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ के सेक्टर–**3** में प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स हेतु एस0ई0आई0ए0ए0 इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओ0सी0 तथा आर्कीटेक्चरल कन्सलटेन्सी के भुगतान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पुनः सुविचारित समेकित प्रस्ताव लाया जाय।
243/4	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) घटक के अन्तर्गत अर्फोडेबुल योजना के अन्तर्गत राज्यांश के विरूद्ध हुडको से ऋण लिये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243/5	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत (जी+3) ई.डब्लू.एस. भवनों का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह मत् स्थिर हुआ कि जो भी सीलिंग कीमत शासन से निर्धारित होगी उसी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अधिक लागत आगणित होने पर परिषद द्वारा अन्य योजनाओं पर भारित करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति की जाये।

		साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम/सूडा से समन्वय स्थापित कर व्यय–प्राक्कलन पर एकरुपता सुनिश्चित करते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से व्यय–प्राक्कलन बनाकर सुविचारित प्रस्ताव आवास विभाग को प्रेषित किया जाय।
243/6	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2 में भागीरथी इन्क्लैव एवं मन्दाकिनी इन्क्लैव के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट्स के विक्रय मूल्य में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए मार्ग दर्शन हेतु प्रस्ताव।	अतिरिक्त मदों को मूल प्रशासनिक स्वीकृति में शामिल न करने के कारण बोर्ड के निर्णय दिनॉक 02.12.2013 के क्रम में पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, किन्तु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदा आमन्त्रित करने से पूर्व न प्राप्त करने के कारण भवनों की लागत हुई वृद्वि के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का मत सर्वसम्मति से स्थिर हुआ। सेवा निवृत्त श्री राजीव कुमार, अधीक्षण अभियन्ता तथा श्री एस.के. कुन्दन, सहायक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए के तहत अनुमोदन भी प्रदान किया गया ।

ग्लोबल कन्सट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी सेल

243/7	डिपाजिट कार्यो में आर्कीटेक्चरल कन्सलटेन्सी हेतु आर्कीटेक्चर /कन्सलटेन्ट के पैनल गठित किये जाने का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि श्रेणी ए, बी व सी हेतु क्रमशः 3, 4 व 5 आर्किटेक्ट इम्पेनल किए जॉए।

भूमि अर्जन अनुभाग

243/8	परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–8 मवीकलां (शाकुम्भरी विहार), सहारनपुर में खसरा संख्या–277/1, 277/2, 278/1 व 278/2 कुल 2.932 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण की जॉच करवा ली जाये कि वर्तमान में भूमि पर किसका कब्जा है तदोपरान्त पुनर्परीक्षण करके सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
243/9	गोण्डा–फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 के अन्तर्गत प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243/10	जनपद–मेरठ के ग्राम–लिसाड़ी में परिषद की नई योजना क्षेत्रफल 5.3010 हे0 भूमि पर संचालित किये जाने हेतु धारा–28 के नोटिस का गजट प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त योजना की व्यवहार्यता एवं विकयशीलता के सापेक्ष सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
243/11	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान सं0–1, देहरादून में समाविष्ट ग्राम–जाखन के खसरा सं0–269(पुराना)	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	रकबा 1.26 एकड़ (बन्दोबस्ती के उपरान्त नये खसरा सं0–296क भाग रकबा 0.06 हे0, 297क भाग रकबा 0.05 हे0, 298 भाग रकबा 0.19 हे0, 319क भाग रकबा 0.19 हे0 एवं 320 भाग रकबा 0.02 हे0) भूमि का नियोजन समिति की संस्तुतियाँ एवं धारा–31(1) के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	

प्रशासन अनुभाग

243 / 12	दिनांक 01.07.2016 से मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243 / 13	दिनांक 01.01.2017 से मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243 / 14	कार्यालय आदेश–1348 / प्रशा–एक–93 / 2013 दिनांक 04.07.2014 एवं आदेश 2098 / प्रशा0–एक–93 / 2013 (भाग–2) दिनांक 28.08.2014 द्वारा लागू लिपिकीय संवर्ग के ढाचे के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के किसी अनुभवी सेवा निवृत्त अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाये।
243 / 15	परिषद के पेंशनरो को दि0 01.07.2016 से 132% तथा दिनांक 01.01.2017 से 136% महगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

243 / 16	श्री बी0एस0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता (सेनानिवृत्ति तिथि 30.04.2017) एवं आर0के0 अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2016) के विरूद्ध अनुशासनिक / विभागीय कार्यवाही संस्थित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

243 / 17	स्वर्गीय विजयपाल सिंह चौहान, प्रशासनिक अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243 / 18	स्वर्गीय कृष्ण नारायण त्रिपाठी, कनिष्ठ लेखाधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

243 / 19	शाहपुर योजना सं0–2 / 3 गोरखपुर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या– सी0पी0–104 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला अनुभाग

243 / 20	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव
	समाविष्ट ग्राम इस्माइलगंज के खसरा	अवशेष देय धनराशि के समतुल्य किसी

	सं0 101 व 102 सेक्टर 12 की भूमि का भू–उपयोग वर्ष 2007 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन उपरान्त निदेशक मंडल की 237वीं बैठक में देयता संबंधी निर्णय में शिथिलता प्रदान करने करने के संबंध में।	राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी लिये जाने के साथ अनुमोदित किया गया। गारण्टी की अवधि अंतिम देय किश्त के तीन माह पश्चात तक की रखी जाय।

अभियंत्रण अनुभाग

243/21	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 एवं 10 में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव में 2016 नग चार मंजिले भवनों का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर परिषद के मुख्य विधि परामर्शी से विधिक राय प्राप्त कर आगामी बैठक में सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
243/22	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में निर्माणाधीन 1856 नग बहुमंजिले भवनों में नगण्य पंजीकरण होने के दृष्टिगत परियोजना का कार्य रोके जाने/सीमित किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में आस–पास के क्षेत्रों में निर्मित किये जा रहे बहुमंजिले भवनों की लागत इत्यादि की जानकारी करके सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

243/23	परिषद योजनाओं में निर्मित/विकसित आवासीय योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों का समय से कब्जा ना प्राप्त करने पर आरोपित विलम्ब शुल्क के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवंटन के बाद बीमारी होने की शर्त के अधीन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

243/24	इटावा नगर में प्रस्तावित सूत मिल आवासीय योजना, इटावा के धारा–28 हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण का व्यवहार्यता एवं विक्रयशीलता के दृष्टिगत समग्र एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रशासन अनुभाग

243/25	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243/27	परिषद की अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु ई–ऑक्शन प्रणाली अंगीकृत करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
243/26	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष